Election Commission of India

NAME OF THE NEWSPAPER राष्ट्रीय सहारा DATE: 25 JAN 2013

मतदान के बाद भी रहें जागरूक

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

अरुण तिवारी

मेट्रो में भीड़ बहुत थी। मैं खड़ा था, वह भी। मैं 'मौलिक भारत' के जरिए देश की तस्वीर बदलने को बेताब कुछ युवाओं से मिलने जा रहा था। उनके बारे में सोचकर मन ही मन गर्वित भी हो रहा था और वह था कि सारे रास्ते बस सिस्टम को गाली ही देता रहा। वह भी नौजवान था। उसके भी तेवर क्रांतिकारी थे। किंतु जैसे ही उसे जगह मिली, उसकी गाली बंद हो गई। ईयरफोन ठूंस वह बाकी दुनिया की तरफ से जैसे बेखबर हो गया। परमशांति की मुद्रा में आत्ममग्न! जैसे उसने अपना उत्तरदायित्व पूरा कर लिया हो। उसकी क्रांति..., उसका यौवन ढक्कन खुलने पर तेजी से उभरकर बह जाने वाले झाग जैसा साबित हुआ। उसे भी 'सोल्युशन का साइनस' नहीं, भरी जवानी में सठियाने का सिंड्रोम था। जहां तक मेरी बात है, जब जेपी, विनोबा से लेकर अन्ना, अरविंद तक सिस्टम बदलने के खेल में फेल हो गए, तो मैं अदना-सा कलमघसीट भला उसे सिस्टम समस्या का समाधान क्या बताता! नोएडा सिटी सेंटर पर उतरते वक्त मैंने अपनी उंगली सीट के पीछे लिखे दिल्ली चुनाव आयोग के विज्ञापन की ओर उठा दी और आगे बढ़ गया- आपका वोट! आपका हक!! आपकी ताकत!!!

यह सच है कि हर वोट कीमती है। यह भी सच है कि एक वोट ने फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता प्रशस्त किया; एक वोट के कारण ही जर्मनी नाजी हिटलर के हवाले हो गया। यह एक वोट ही था, जिसने 13 महीने में ही अटल सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक वोट ने ही कभी अमेरिका की राजभाषा तय की थी। यह सच है कि यदि एक वोट सरकार बदल सकता है, तो हमारी तकदीर क्यों नहीं! किंतु क्या मतदाता जागरूकता का मायने सिर्फ एक वोट तक ही सीमित है? क्या सिर्फ वोटिंग मशीन का बटन दबाते वक्त जागने से ही हमें जागरूक का दर्जा दिया जा सकता है? हालांकि चुनाव आयोग समेत अन्य कई संगठनों द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियानों ने इसे 'वोट अवश्य दें' तक ही सीमित रखा है। समझदारी से वोट देने की अपील कर दूसरी क्लास की पढ़ाई पढ़ाने की कोशिश भी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में एक-आध जागरूकता अभियानों ने की थी। जरूरत इससे आगे की है।

मतदाता जागरूकता का असल मतलब तो लोकतंत्र के निर्माण में हर स्तर पर भागीदारी से है। यूं तो लोकतंत्र के निर्माण में हर स्तर पर भागीदारी का मायने व्यापक है: व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के निर्वाह से लेकर संस्थागत दायित्वों की पूर्ति तक। मेरे पढ़ने, लिखने, कुछ बनने, करने, अधिक से अधिक कमाने आदि किसी भी कार्य के पीछे यदि उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है तो मैं सचमुच लोकतंत्र के निर्माण में सच्चा भागीदार हूं। किंतु यदि मैं इसलिए कमाना चाहता हूं कि ऐश से जीवन बिता सकूं, तो इस लोकतंत्र के निर्माण में योगदान का कोई श्रेय लेने का हक मैं खो चुका हूं। एक मतदाता के रूप में लोकतंत्र के निर्माण में भागीदारी

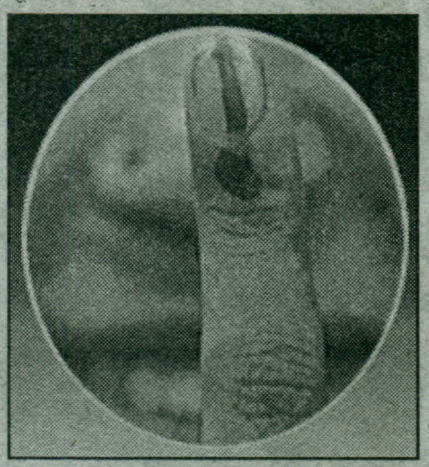

के लिए जागने की अवधि एक दिन नहीं, पूरी पांच साल है; एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक।

यह सच है कि चुनाव एक महत्वपूर्ण मौका होता है। पार्टियां इसे हार-जीत का मौका मानती हैं। इसीलिए 'जिताऊ उम्मीदवार खड़ा करती हैं। 'युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है'- उम्मीदवार चुनाव को इसी नजरिए से देखते हैं। अतः जीत को आगे और मर्यादा तथा नैतिकता को पीछे रखकर चलते हैं। इस नजरिए को उलटना होगा। सच यह है कि मतदाता ही उम्मीदवार को इस सच्चाई से वाकिफ करा सकते हैं कि चुनाव न हार-जीत का मौका होता है और न ही यह कोई युद्ध है। चुनाव मौका होता है, पिछले पांच साल में हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा किए गए कार्य व व्यवहार के आकलन का। चुनाव मौका होता है अगले पांच साल के लिए अपने विकास व विधान की दिशा तय करने का। यह तभी हो सकता है, जबकि मतदाता मतदान के बाद सो न जाए।

जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, मतदाता का असली काम शुरू हो जाता है- चुने गए उम्मीदवार को जनमत के अनुरूप दायित्व-निर्वाह के लिए विवश करना, राष्ट्र स्तर पर नीतिगत निर्णयों के लिए सांसद को और हितकारी विधान निर्माण के लिए विधायक को प्रेरित करना व शक्ति देना। एक निगम पार्षद को विवश करना कि वह इलाके का विकास नागरिकों की योजना व जरूरत के मुताबिक करे। ग्राम पंचायत के निर्णयों में ग्रामसभा का साझा सपना झलकना ही चाहिए। हम बीते पांच साल में जनप्रतिनिधि के कार्य का आकलन तभी कर सकते हैं, जब हमारे लिए बनी योजनाओं की हम खुद जानकारी रखें। उनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सरकारी योजनाओं के जरिए हमारे ऊपर खर्च होने वाली हर पाई का हिसाब रखें। लोक अंकेक्षण यानी पब्लिक ऑडिट करें। 'मनरेगा में काम क्या होगा, कहां होगा, यह जिम्मेदारी किसकी है- ग्रामसभा की।' रेडियो-टीवी पर दिन में कई-कई बार एक विज्ञापन यही बात बार-बार याद दिलाता है। बावजूद इसके यदि ग्रामवासी हर निर्णय की चाबी ग्रामप्रधान को सौंपकर सो जाएं, तो वह हर पांच साल में एक गाड़ी बनाएगा ही। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा! कहना गलत न होगा कि लूट के रास्तों की बाड़बंदी तभी होगी, जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य ब अधिकार दोनों का एकसमान निर्वाह करे; वरना लगाई बाड़ खेत खाएगी ही। सिटी चार्टर सिर्फ पढ़ें नहीं, उसकी पालन के लिए प्रशासन को विवश भी करें। वस्तुस्थिति यह है कि आज हम इतने सुविधाभोगी हो गए हैं कि अपनी सुविधा के लिए हम खुद शॉर्टकट रास्ते तलाशते हैं। 'आउट ऑफ वे' हासिल करना हम रुतबे की बात मानते हैं। जब तक यह चित्र नहीं बदलेगा, मतदाता जागरूकता कोरी ही रहेगी।

अधिक वोट प्रतिशत से गठबंधन की राजनीति पर लगाम तो लग सकती है, लेकिन राजनीति की जगह लोकनीति कदापि नहीं ले सकती। जबकि सच्चा लोकतंत्र तो वही होता है, जहां लोकनीति प्रमुख हो। आखिर कब तक हमारा लोकतंत्र राजतांत्रिक मानसिकता के चंगुल में फंसा रहेगा? आखिर मतदाता कब तक राजनीतिक पार्टियों द्वारा परोसे उम्मीदवारों और घोषणापत्रों पर मोहर लगाने को विवश होते रहेंगे? हर चुनाव से पहले पिछले का आकलन और लोकघोषणा पत्र के रूप में भावी अपेक्षाओं का खाका तय करना ही होगा। मतदाता अपना घोषणापत्र बनाएं और उम्मीदवार व पार्टियों को उसे मानने को विवश करें। यह तभी संभव है जब मतदाता सकरात्मक, सजग, समझदार व संगठित हों। देशव्यापी स्तर पर निष्पक्ष मतदाता परिषदों का गठन कर यह किया जा सकता है।